न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः 194/2015 (जीसीएमएस नं. 2015/00111)

1. श्रीमती शान्तीदेवी धर्मपत्नी स्व. श्री शंकरलाल (मृतक दौराने अपील)

1/1. सुनील मोर पुत्र स्व. श्री सांवलराम मोर, जाति महाजन निवासी मोर हवेली वार्ड नम्बर 28, नवलगढ, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल निवासी 92, मिस्त्री पार्क 77, भुलाभाई देसाई रोड़, मुम्बई–36 महाराष्ट्र

––अपीलान्ट

बनाम

1. रूदेश पुत्र स्व. श्री कृष्णचन्द्र, जाति महाजन निवासी स्टेशन रोड़, चिड़ावा।
2. श्रीमती सुमन धर्मपत्नी स्व. श्री कृष्णचन्द्र, निवासी स्टेशन रोड़ चिड़ावा
3. मु0 हेमांगिनी पुत्री स्व. श्री कृष्णचन्द्र, निवासी स्टेशन रोड़ चिड़ावा हाल निवासी 43 पनोरमा, 203 बालकेश्वर रोड़, मुम्बई–6 महाराष्ट्र।
4. विनोद कुमार पुत्र बनवारीलाल, जाति महाजन (मृतक दौराने अपील)
   4/1. मु0 शकुन्तलादेवी बेवा स्व. श्री विनोद कुमार,
   4/2. गौरव भगेरिया पुत्र स्व. श्री विनोद कुमार,
   4/3. कपिल भगेरिया पुत्र स्व0 श्री विनोद कुमार,
   4/4. रितेश भगेरिया पुत्र स्व. श्री विनोद कुमार, जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 23, पुराना बस स्टेण्ड चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
5. जगदीश प्रसाद पुत्र दूलीचन्द, जाति ब्राहाम्ण निवासी लुहारू रोड़, पिलानी तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू।
6. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा, तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

–– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री राजाराम चौधरी एडवोकेट अपीलार्थी की आरे से**
2. **श्री अशोक उपाध्याय, एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से**
3. **श्री पी.के.मीना एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 4/1 से 4/4 की ओर से**
4. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 01.11.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2015 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि कस्बा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू स्थित भूमि खसरा नम्बर 961 रकबा 1.25 हैक्टयर श्री कृष्णचन्द्र पुत्र स्व. श्री शंकरलाल महाजन की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी तथा राजस्व भू अभिलेखों में कृष्णचद्र पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था एवं कृष्णचन्द्र का दिनांक 24.01.2014 को देहान्त हो गया उसके प्रथम श्रेणी के

P.T.O.

उत्तराधिकारी उसका पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रूद्रेश पुत्री मु0 हेमांगिनी रेस्पोडेन्ट संख्या 3, व बेवा श्रीमती सुमन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तथा माता अपीलार्थीया श्रीमती शान्तीदेवी बहिस्सा बराबर होते है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने तहसीलदार चिड़ावा के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुए दिनांक 19.05.2014 को विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2080 मात्र अपने नाम ही तस्दीक करवा लिया और अपीलार्थीया का नाम अंकित नही किया गया जिसकी अपीलार्थीया को कोई जानकारी नही हो सकी। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने श्री कैलाश चन्द्र पुत्र शंकरलाल झुन्झुनूवाला के पक्ष में दिनांक 15.05.2014 को जो मुख्त्यारनामा तहरीर किया वह मात्र एक मुचत्यानामा–खास है जिसके आधार पर उक्त मुख्त्यार को उक्त भूमि के सम्बन्ध मे कोई विक्रय पत्र तहरीर कर पंजीकृत कराने का अधिकार नही है परन्तु फिर भी उक्त मुख्त्यार ने भूमि खसरा नम्बर 961 कुल रकबा 1.25 हैक्टयर में से 0.41 हैक्टयर भूमि रोड़ के पास की रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 को विक्रय कर विक्रय पत्र पंजीकृत करा लिया जिसे उप पंजीयक चिड़ावा ने पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 253 पृष्ठ संख्या 109 क्रम संख्या 2014000877 पर दिनांक 22.05.2014 को पंजीकृत करा लिया जिसके आधार पर क्रय की गई भूमि के सम्बन्ध में नामान्तरकरण संख्या 2094 दिनांक 23.06.2014 को क्रेतागण के नाम तस्दीक करवा लिया जो अन्यथा भी पूर्णतः अवैध है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 2080 दिनांक 19.05.2014 एवं नामान्तरकरण संख्या 2094 दिनांक 23.06.2014 के विरूद्ध अपीलार्थिया ने दो पृथक–पृथक अपीलें अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष प्रस्तुत की तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर ने अपील संख्या 463/2014 में दिनांक 21.05.2015 के अपने निर्णय द्वारा अपीलार्थिया को मृतक श्री कृष्णचन्द्र की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होना माना व माता होना मानते हुए दिनांक 21.05.2015 के अपने निर्णय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2080 दिनांक 19.05.2014 को निरस्त कर केस को तहसीलदार चिड़ावा को प्रतिप्रेषित कर दिया परन्तु उसके पश्चात् दिनांक 02.06.2015 के अपने अपीलाधीन निर्ण द्वारा पश्चात्वर्ती नामान्तरकरण संख्या 2094 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील को निरस्त फरमा दिया जो निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ही मृतक खातेदार स्व. श्री कृष्णचन्द्र के उत्तराधिकार नही है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के साथ अपीलार्थिया भी भूमि विवादग्रस्त के 1/4 हिस्से की सहकृषक है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट सख्या 1 लगायत 3 द्वारा ही अपने आप को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार कृषक होना मानते हुए भूमि खसरा नम्बर 961 कुल रकबा 1.21 हैक्टयर का एक विशिष्ठ भू–भाग 0.41 हैक्टयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 को विक्रय करने का कोई अधिकार नही है। ऐसे अवैध विक्रय पत्र के आधार पर जो नामान्तरकरण संख्या 2094 दिनांक 23.04.2014 को तस्दीक किया गया वह भी पूण्रतः अवैध व अनियमित है। उन्होने

आगे कथन किया है कि किसी भी सहकृषक को यह अधिकार प्राप्त नही है कि वह संयुक्त कृषि जोत के एक विशिष्ठ भू–भाग को विक्रय कर सके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा एक विशिष्ठ भू–भाग का विक्रय रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के पक्ष में किया गया है जो पूर्णतः अवैध है परन्तु फिर भी उक्त विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहाल रखे जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.06.2015 एवं नामान्तरकरण सख्या 2094 तहसीलदार चिड़ावा दिनांक 23.06.2014 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अधिवक्ता अपीलान्ट के तथ्यों को विरोध करते हुए कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 2094 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकार किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

रेस्पोउन्ट संख्या 4/1 लगायत 4/4 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि रेस्पोडन्ट संख्या 4/1 लगायत 4/4 के पूर्वज एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार से भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया गया है जिससे वे भूमि के विधिक खरीददार है तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त विक्रय पत्र को किसी भी समक्ष न्यायालय में चुनौती नही दी गई है। ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकार किये गये नामान्तरकरण में कोई अनियमितता नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2015 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने भी नामान्तरकरण संख्या 2094 में किसी प्रकार की अनियमितता नही होना कथन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2015 को विधि सम्मत बताया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि यह निर्विवाद तथ्य है कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार कृष्णचन्द्र माता है। ऐसे में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के साथ–साथ अपीलान्ट भी मृतक खातेदार कृष्णचन्द्र की प्रथम श्रेणी की वारिस है किन्तु कृष्णचन्द्र की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2080 अपीलान्ट का नाम छोड़ते हुए केवल खातेदार की धर्मपत्नी व पुत्र–पुत्री के नाम ही तस्दीक किया गया तो विधि सम्मत नही था तथा जब वादग्रस्त आराजी का तकासमा ही नही हुआ है तो रेस्पोडेन्ट को उक्त आराजी के किसी विशिष्ठ भू–भाग का विक्रय रेस्पोडेन्ट संख्या 4 एवं 5 को किये जाने का कानूनी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिकार भी प्रदत्त नही था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2015 पारित किया गया है जिसे विधि सम्मत नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2015 को एवं नामान्तरकरण संख्या 2094 वाके ग्राम चिड़ावा जिला झुन्झुनू पर तहसीलदार चिड़ावा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2014 को निरस्त किया जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।